72

न्यायालय: माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /२००६ निगरानी

R 697/II/06

परदेशीलाल पुत्र वृन्दावन साहू,
निवासी ग्राम बैरगिया पुलरी, तहसील लौढ़ी,
जिला छतरपुर (म०प्र०) --- आवेदक

विरुद्ध

१) बुद्धूराम पुत्र भोलाप्रसाद कुशवाहा,
निवासी ग्राम खुर्द गुढ़ा, तहसील लौंडी,
जिला छतरपुर (म०प्र०)

श्री ... द्वारा आज दि० 12/4/06 प्रस्तुत।
12/4/06
अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

२) म०प्र० शासन -- --- अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा ५० म०प्र० भू-राजस्व संहिता विरुद्ध आदेश दिनांक ३१-१-२००६ पारित द्वारा श्री पी० जी० गिल्लोरे, अपर आयुक्त सागर संभाग सागर, प्रकरण क्रमांक ४१५/अ-५६/२००३-०४ अपील कउनवान परदेशीलाल बनाम बुद्धूराम व अन्य।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से पुनरीक्षण निम्नलिखित प्रस्तुत है-

संक्षिप्त तथ्य :

(अ) यहकि, आवेदक परदेशीलाल, निवासी ग्राम बैरगियां पुरवा, तहसील लौढ़ी, जिला छतरपुर के द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार, चन्दला के न्यायालय में आवेदन पत्र कोटवार पद पर नियुक्ति हेतु प्रस्तुत किया जो न्यायालय नायब तहसीलदार द्वारा दि० १६-१-२००२ को निरस्त

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 697/दो/2006 जिला–छतरपुर

दिनांक तथा टिप्पणी	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
6-1-17	यह निगरानी आवेदक द्वारा अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के प्रकरण क्रमांक 415/अ–56/2003–04 में पारित आदेश दिनांक 31.01.2006 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि अनुविभागीय अधिकारी लौंडी के न्यायालय में परदेशीलाल विरूद्ध बुद्धुराम में आवेदक के विरूद्ध निर्णय किया गया है आवेदक ने एक आवेदन पत्र कोटवार नियुक्ति के संबंध में नायब तहसीलदार चंदला तहसील लौंडी में पेश किया था जिसमें उन्होने दिनांक 16.01.2002 को आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया। जिसके विरूद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी लौंडी के समक्ष प्रस्तुत की गयी जो पारित आदेश दिनांक 06.08.2002 को अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गयी। नायब तहसीलदार चंदला ने अनावेदक क्रमांक 1 की नियुक्ति अस्थायी कोटवार के रूप में कर दी जिसके विरूद्ध अनुविभगीय अधिकारी लौंडी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी। जिसे अनुविभागीय अधिकारी लौंडी ने दिनांक 31.04.2004 को आदेश पारित कर आवेदक की अपील निरस्त कर दी। जिसके विरूद्ध अपील अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के समक्ष प्रस्तुत की गयी जो पारित आदेश दिनांक 31.01.2006 को निरस्त की गयी इस आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय मे निगरानी प्रस्तुत की गयी। 3– निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओ पर उभय पक्षो के अभिभाषको के तर्क सुने गये एवं उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। 4– आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.01.2002 के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपील अनुविभागीय	

अधिकारी लौंडी के समक्ष प्रस्तुत की थी। किन्तु उक्त अपील में पारित निर्णय की प्रतीक्षा किये बिना नायब तहसीलदार द्वारा अनावेदक की नियुक्ति कोटवार पद पर कर दी है। जो कार्यवाही त्रुटि पूर्ण है इसके अलावा मूल न्यायालय के समक्ष अनावेदक एवं अन्य लोगों द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किये थे जो विचारणीय थे किन्तु न्यायालय द्वारा अनावेदक को लाभ पहुॅचाने के उद्देश्य से अन्य आवेदन पत्रों का निराकरण किये बिना ही की गयी नियुक्ति अवैधानिक है, जहॉ तक आवेदक के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने का प्रश्न है तो नियुक्ति दिनांक तक आवेदक के विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं था ऐसी स्थिति मे जो आदेश अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित किये गये है वह अपास्त किये जाये।

5– अनावेदक क्रमांक 1 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता के.के.द्विवेदी द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से यह तर्क दिये। कि उपरोक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयो के आदेश समवर्ती निष्कर्ष है, जिनमे हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। इस संबंध में उनके द्वारा 1999 आर.एन 412 एवं 1999 आर.एन. 336 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये है। अंत में आवेदक की ओर से प्रस्तुत की गयी निगरानी बलहीन एवं सारहीन होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

6– अनावेदक क्रमांक 2 शासकीय अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से यह आधार लिया है कि वर्तमान प्रकरण में जो आदेश अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा पारित किया गया है, वह विधिवत् एवं सही होने से स्थिर रखे जाने का निवेदन किया गया।

7– उभय पक्षो के अभिभाषक द्वारा किये गये तर्को पर विचार किया एवं उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। दस्तावेजो एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपरोक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयो द्वारा जो निष्कर्ष निकाले है वह समवर्ती निष्कर्ष है। और ऐसी स्थिति में 1999 आर.एन 412 में निष्कर्ष दिया गया है, कि भू–राजस्व संहिता धारा 50 तीनो न्यायालयो के एक ही निष्कर्ष–पुनरीक्षण में

हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त भू–राजस्व संहिता की धारा 230 में कोटवारी के नियम बनाये गये है, जिसके अनुसार कोटवार की नियुक्ति की गयी है, आवेदक पर थाना हिनौता में धारा 294, 506/34 अपराध क्रमांक- 21/2002 आदेश दिनांक 14.10.02 अपराध पंजीबद्व था। जबकि अनावेदक क्रमांक 1 चरित्र प्रमाण पत्र से स्पष्ट है कि उसपर कोई अपराधिक प्रकरण पंजीबद्व नहीं है। ऐसी स्थिति में नायब तहसीलदार चंदला एवं अनुविभागीय अधिकारी लौंडी एवं अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा पारित किये गये है उनमे हस्तक्षेप किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

8– उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाकर अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा 415/अ–56/2003–04 में पारित आदेश दिनांक 31.01.2006 स्थिर रखे जाने के आदेश दिये जाते है।

सदस्य